न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील / 225 / रा.का.अधि. / 06 / 2013 / जैसलमेर

अपीलांट

1. मदनसिंह पुत्र श्री मलसिंह
2. घेवरसिंह पुत्र प्रयागसिंह
   जाति राजपूत निवासी बड़ोड़ा
   तहसील व जिला जैसलमेर

रेस्पोडेंटगण

बनाम 1मलसिंह पुत्र श्री नखतसिंह का.मु.:–
1/1समन्दकंवर बेवा मलसिंह
1/2कंवराजसिंह पुत्र मलसिंह
1/3शोभसिंह पुत्र मलसिंह
1/4ओंकारसिंह पुत्र मलसिंह
1/5रसालकंवर पुत्री मलसिंह
1/6कमलाकंवर पुत्री मलसिंह
1/7प्रयागसिंह पुत्र मलसिंह के
कायम मुकाम–समस्त
जातियान राजपूत निवासीयान
बड़ोड़ा गांव तहसील व जिला
जैसलमेर।
8.मदनसिंह पुत्र भोपालसिंह राजपूत
निवासी बड़ोडा गांव (क्रेता)
9.जालमसिंह पुत्र मदनसिंह राजपूत
निवासी बड़ोडा गांव (क्रेता)
10.अरूणसिंह पुत्र मदनसिंह राजपूत
निवासी बड़ोडा गांव (क्रेता)

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर जैसलमेर द्वारा राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या 13/2011 बअनवान मदनसिंह वगै. बनाम मलसिंह वगैरा में पारित आदेश दिनांक 20. 03.2013 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री बसीर मोहम्मद अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री एम.आर. बारूपाल रेस्पोडेंट की ओर से ।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

निर्णय

दिनांकः– **21.08.2019**

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंटगण ने अधीनस्थ न्यायालय मे आवेदन अंतगर्त धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 धारा 151 सी पी सी इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि अपीलार्थी ने जैसलमेर जिले के बड़ोडा गांव के खसरा संख्या 330, 331, 740, 850, 451, 452, 453 कुल रकबा 387.14 बीघा भूमि पुश्तैनी अविभक्त हिन्दू परिवार की होना अभिकथित करते हुऐ अपने पिता अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा बिना विभाजन कराये प्रार्थी का हक मारकर वादग्रस्त भूमि का विक्रय करने से रोकने एवं प्रार्थीगण के हिस्से की भूमि पर प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप नहीं करने से रोकने हेतु पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय का आधार अपीलार्थी द्वारा बेचान में

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

सहमति का शपथ–पत्र दिये जाने के बाद प्रस्तुत वाद को आधारहीन होने से अपीलाधीन आदेश पारित किया है जबकि उतरदाता संख्या 01 व 03 से 05 ने अपनी प्रतिरक्षा में प्रार्थी को बेचान में सहमति का तथ्य अभिकथित ही नहीं किया है। कथित फर्जी शपथ–पत्र को आधार मानकर पारित अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्ध है। उतरदाता संख्या 01 ने इस भूमि को स्वयं ने खरीदा हो ऐसा अभिकथन नहीं किया है ऐसी स्थिति में वादग्रस्त भूमि का पैतृक नहीं होना मानने का अधीनस्थ न्यायालय के पास कोई आधार नहीं था। अपीलाधीन प्रकरण में अपीलार्थी का वाद विचाराधीन है पैतृक अविभक्त हिन्दू परिवार की भूमि होने से तथा उतरदाता संख्या 01 का पुत्र होने से इस भूमि में अपीलार्थी का हक स्वतः प्रमाणित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधि सम्मत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ होने से काबिल निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी लिखित एवं मौखिक बहस में बताया कि अपीलार्थी ने जैसलमेर जिले के बड़ोडा गांव के खसरा संख्या 330, 331, 740, 850, 451, 452, 453 कुल रकबा 387.14 बीघा भूमि पुश्तैनी अविभक्त हिन्दू परिवार की होना अभिकथित करते हुऐ अपने पिता अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा बिना विभाजन कराये प्रार्थी का हक मारकर वादग्रस्त भूमि का विक्रय करने से रोकने एवं प्रार्थीगण के हिस्से की भूमि पर प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप नहीं करने से रोकने हेतु पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय का आधार अपीलार्थी द्वारा बेचान में सहमति का शपथ–पत्र दिये जाने के बाद प्रस्तुत वाद को आधारहीन होने से अपीलाधीन आदेश पारित किया है जबकि उतरदाता संख्या 01 व 03 से 05 ने अपनी प्रतिरक्षा में प्रार्थी को बेचान में सहमति का तथ्य अभिकथित ही नहीं किया है। कथित फर्जी शपथ–पत्र को आधार मानकर पारित अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्ध है। उतरदाता संख्या 01 ने इस भूमि को स्वयं ने खरीदा हो ऐसा अभिकथन नहीं किया है ऐसी स्थिति में वादग्रस्त भूमि का पैतृक नहीं होना मानने का अधीनस्थ न्यायालय के पास कोई आधार नहीं था। अपीलाधीन प्रकरण में अपीलार्थी का वाद विचाराधीन है पैतृक अविभक्त हिन्दू परिवार की भूमि होने से तथा उतरदाता संख्या 01 का पुत्र होने से इस भूमि में अपीलार्थी का हक स्वतः प्रमाणित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधि सम्मत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

का आदेश प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अधिवक्ता अपीलांट ने अपने कथन के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये:–

DNJ 2000-01(Raj.)(Suppl.) Page 371

अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने अपनी बहस करते हुए बताया कि अपीलाधीन आराजी ग्राम बड़ोडा के खसरा संख्या 451/204, 452, 453 स्वयं की खातेदारी खुदकाश्त की कृषि भूमि बताया एवं उक्त भूमि पर पूर्ण स्वामित्व होने के कारण उक्त कृषि भूमि को जरिए रजिस्ट्रर्ड बेचाननामा अप्रार्थी संख्या 03 से 05 को बेचाना करना बताया है। अपीलार्थी द्वारा बेचान में सहमति का शपथ–पत्र दिये जाने के बाद प्रस्तुत वाद को आधारहीन होने से अपीलाधीन आदेश पारित किया है अपीलाधीन आदेश विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश को यथावत रखा जावे।

सर्वप्रथम धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलाधीन निर्णय की सूचना प्रार्थीगण को नहीं मिली तथा प्रार्थीगण दिनांक 12.07.2013 को जैसलमेर जाकर अपने अधिवक्ता से मिला तब उन्होने कहा कि पेशी नहीं दी हुई है कोर्ट में देखकर बताता हूँ और उन्होने न्यायालय का रजिस्टर देखकर अपलाधीन निर्णय की सूचना दी। उसी दिन नकल मांगी जो दिनांक 15.07.2013 को नकल मिली तथा वास्तविक ज्ञान की तारिख से अपील अन्दर मियाद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांट/प्राथी द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी सद्भाविक नहीं। अपली पेश करने में हुई देरी का कोई संतोषप्रद कारण नहीं बताया। अपील पेश करने में हुई देरी के एक–एक दिन के देरी का विवरण नहीं बताया गया है। अतः लिमिटेशन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अधिवक्त अपीलांट के कथन पर विश्वास करते हुए हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का सिंहावलोकन व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करके पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलांट द्वारा लिखित बहस में स्पष्ट किया गया है समरी सेटलमेंट में भी वादग्रस्त भूमि उसके पिता मलसिंह पुत्र नखतसिंह की तथा बाद में वर्तमान सेटलमेंट में भी उन्हीं के नाम 1/3 हिस्सा भाई भोपालसिंह के सामलाती खाते में दर्ज रही है। इससे वादग्रस्त भूमि पुश्तैनी होना प्रथम दृष्टया रिकॉर्ड में साबित नहीं होता है। राजस्व अभिलेख यह प्रमाणित करता है कि वादग्रस्त भूमि समरी एवं स्थाई बंदोबस्त में केवल मलसिंह (अपीलांट के पिता) के नाम दर्ज होने से उसकी स्व अर्जित संपति है जिसका व्ययन करने का अधिकार खातेदार को है लिहाजा मामल प्रथम दृष्टया, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिंदुओं पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया विवेचन सही है एवं इसके अतिरिक्त रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के संबंध में अपीलार्थी की सहमति स्वरूप शपथ–पत्र भी मायने रखते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि सम्मत एवं सही है, इसमें किसी प्रकार से दखल की गुंजाईश नहीं है। वह यथावत रखने योग्य है।

अतः अपील अपीलांट अस्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर जैसलमेर द्वारा राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या 13/2011 बअनवान मदनसिंह वगै. बनाम मलसिंह वगैरा में पारित आदेश दिनांक 20.03.2013 को यथावत रखा जाता है।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

21/8/19
राजस्व अपील प्राधिकारी
(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर कैम्प जैसलमेर

यह आदेश आज दिनांक 21.08.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

21/8/19
राजस्व अपील प्राधिकारी
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर कैम्प जैसलमेर

Scanned by CamScanner